राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मेवानगर
तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर – 03 /2018

प्रार्थीगण :–

1. केशाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी मेवानगर तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. हरजीराम पुत्र .लालूराम
2. तगाराम पुत्र लालूराम
3. तुलसाराम पुत्र प्रभुराम
4. अचलाराम पुत्र प्रभुराम
5. सजाराम पुत्र प्रभुराम
6. दीपाराम पुत्र घमूराम
7. शेराराम पुत्र चेतनराम सभी जातियान जाट निवासी मेवानगर तसहीलदार पचपदरा जिला बाडमेर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश दिनांक : 21.06.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार मेवानगर में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा के खेत खसरा न0 654/146 रकबा 20 बीघा, वर्तमान में प्रार्थी के खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता, ख0न0 1495/146 रकबा 12 विस्वा, ख0न0 1496/146 रकबा 06.14 बीघा, ख0न0 654/146 रकबा 12.14 बीघा सरहद मौजा सरहद मेवानगर तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 07 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत के पडोसी होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है। विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन दिनांक 10.1.2018 को जारी किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

Scanned by CamScanner

विप्रार्थीगण संख्या 1,2, 3 ता 5 के वकील उपस्थित विप्रार्थी संख्या –7 उपस्थित। वकील ने जबाब हेतु अवसर चाहा गया था लेकिन जबाब हेतु पर्याप्त समय देंने के बावजूद जबाब पेंश नहीं किया । अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता तिलवाडा को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner